कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान–बीकानेर

क्रमांक :–शिविरा–माध्य / साप्र / रासेयो / पीएफएमएस / 2018 दिनांक :– 12/3/18

समस्त उपनिदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान।

विषय – राष्ट्रीय सेवा योजना, +2 स्तर पर चयनित समस्त विद्यालयों का पीएफएमएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के संबंध में।

विषयान्तर्गत जैसा आपको पूर्व विदित है कि भारत सरकार के निर्देशानुसार एनएसएस संचालित समस्त ईकाइयों का पीएफएमएस (Public Finance Management System) पोर्टल पर 12 मार्च, 2018 तक रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है इसके पश्चात् ईकाई को स्ववित्त पोषित इकाई में माना जाएगा जिसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय कर प्रशासनिक कार्यवाही की जाएगी।

इस कार्यालय के पूर्व समसंख्यक पत्र दिनांक 08.03.2018 द्वारा एनएसएस संचालित समस्त ईकाइयों को (स्ववित्त पोषित ईकाइयों को छोडकर) 10 मार्च 2018 तक आवश्यक रुप से पीएफएमएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाकर इसकी सूचना निदेशालय को जरिये ईमेल (nss.schooleducation@gmail.com) पर देने हेतु आपको एवं आपके अधीन समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया था, जो आप द्वारा आज दिनांक तक अप्राप्त है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आज ही अपने अधीन समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों से सूचना संकलित कर निदेशालय को जरिये ईमेल निम्न प्रारुप में हस्ताक्षर के साथ समस्त एनएसएस ईकाइयों के पीएफएमएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की सूचना भिजवावें –:

क्र. सं.	जिले का नाम	अनुदान प्राप्त एनएसएस संचालित विद्यालयों की संख्या	स्ववित्त पोषित एनएसएस संचालित विद्यालयों की संख्या	एनएसएस संचालित विद्यालयों की कुल संख्या	पीएफएमएस पोर्टल पर रजिस्टर्ड ईकाइयों की संख्या	पीएफएमएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन से वंचित रहे विद्यालयों का नाम	पीएफएमएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन से वंचित रहने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8

किसी तकनीकी समस्या के लिए पीएफएमएस पोर्टल पर तकनीकी सहायकों के दूरभाष की सूची उपलब्ध है। अतः उनसे सहयोग लेकर समस्त विद्यालयों का रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर लेवें।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
निदेशालय माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

www.rajteachers.com

प्रतिलिपि :–

1. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रथम / द्वितीय को भिजवाकर लेख है कि उक्त सूचना तत्काल संबंधित उपनिदेशक को उपलब्ध करवावें।
2. राज्य सम्पर्क अधिकारी, शिक्षा (ग्रुप–4अ), शासन सचिवालय, जयपुर।

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,

D:\NSS\Budget 49604 (2).Docx